

रिपबलिका आम निरवाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*ग्राम परिषद/*ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 39 से *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- शहनाज बेगम

पिता/पति का नाम- शमशाद हुसैन

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शून्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) शून्य
किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- 3 1/2 घुर भवाक्षीय भूमि पति के नाम से
वर्तमान मूल्य - 5,00,000/- (पाँच लाख -
रुपये)

(iii) भवन- पक्का मकान अनुमानित मूल्य - 2,00,000/- (दो लाख
रुपये) पति द्वारा निर्मित

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 13,000/- तेरह हजार (ii) बैंक बैलेंस- 25,000/- पच्चीस हजार
(स्वयं का) रुपये (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।) (स्वयं का) संलग्न

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें) उपरोक्त :- वर्तमान मूल्य
लोहा सोना - 10 ग्राम - 49,000/-
चाँदी - 50 ग्राम - 5700/-
कुल = 54,700/-
चौवन हजार सात सौ रुपये।
(स्वयं का)

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ शून्य
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें- 24/5/22

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 20-09-2022

शहनाज

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।



Date 20 SEP 2022
Book No. SI No. 261

मैं, शाहनाज बेगम मिता/पति शमशाद हुसैन

उम्र 53 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*ग्राम-पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 38
मोहल्ला महाराजी पोवा पोस्ट रामना, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर
पुतानी जुहा
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*ग्राम-पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 39 के *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य-पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*ग्राम-पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 39 के *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य-पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

शाहनाज

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - Rohit

नाम रोहित कुमार

पता महाराजी पोवा, मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर हुसैन हुसैन

नाम हुसैन हुसैन

पता महाराजी पोवा, कला धाट, मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20/09/2022

Contents of the Affidavit/Deed solemnly affirmed and declared by me through Deponent/Executant and certified by Advocate

MANOJ KUMAR KARN
NOTARY, MUZAFFARPUR

लेगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोतरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।